बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 438931 पटना, दिनांक 30/08/2019

ग्रा0वि0-07 (JJH)-05/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **"जल-जीवन-हरियाली अभियान" के तहत छोटी-छोटी नदियों / नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु वीयर (weir) एवं जल संचयन संरचनाओ के निर्माण के संबंध मे ।**

महाशय,

विदित हो कि "जल-जीवन-हरियाली अभियान" के तहत छोटी-छोटी नदियों / नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु वीयर (weir) एवं जल संचयन संरचनाओ का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार के कार्यो के लिए तकनीकी संभाव्यता की जांच करते हुए योजनाओं की पहचान तथा वीयर (weir) का डिजाइन और प्राक्कलन के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी ।

2. वन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी एवं उसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा ।

3. गैर वन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) द्वारा किये जा सकते है । गैर वन क्षेत्रों के लिए तकनीकी संभाव्यता की जांच एवं योजनाओं की पहचान करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जायेगा :-

I. उप विकास आयुक्त- अध्यक्ष
II. जिला पंचायती राज पदाधिकारी- सदस्य
III. जिला मत्स्य पदाधिकारी- सदस्य
IV. सहायक वन संरक्षक- सदस्य, (जिला में सहायक वन संरक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में जिला में पदस्थापित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों में से वरीयतम वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)
V. उप निदेशक भूमि संरक्षण- सदस्य
VI. कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग- सदस्य
VII. कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग- सदस्य
VIII. कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता मनरेगा- सदस्य

JJHA

4. **समिति का दायित्व:-**

- जिला से संबंधित Google Map, विभागों मे उपलब्ध survey मानचित्र एवं स्थानीय निरीक्षण के आधार पर छोटी-छोटी नदियों / नालों / वीयर / छोटे चेक डेम / अन्य संरचनाओं के निर्माण की तकनीकी संभाव्यता के आलोक मे संरचना के स्थान एवं संरचना का प्रकार के संबंध मे प्रतिवेदित किया जाएगा ।
- समिति द्वारा संरचना के निर्माण से होने वाले लाभ को भी अंकित किया जाएगा ।
- समिति द्वारा कार्यों की मात्रा एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निम्न में से किसी एक विभाग को क्रियान्वयन विभाग के रूप मे अनुशंसा की जा सकती है:-
  - i. जल संसाधन विभाग,
  - ii. कृषि विभाग,
  - iii. ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) ।
- समिति की अनुशंसा के समीक्षोपरान्त जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन एवं अनुशंसा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को दिनांक 31.10.2019 तक संसूचित की जाए ।
- संबंधित विभाग द्वारा संरचना का डिजाईन / प्राक्कलन तैयार कर कार्य-योजना समर्पित करने की नियत तिथि- 30.11.2019 है ।
- ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) अंतर्गत 2019-20 में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विशेष ग्राम सभा बुलाकर शीघ्रता से कार्य प्रारम्भ किया जाए ।
- सभी संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ कार्यो को 31.05.2020 तक एवं 2020-21 में प्रारम्भ कार्यों को 31.05.2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा जाए ।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र जिला स्तरीय समिति का गठन कर जल संरक्षण योजनाओं के निर्माण हेतु स्थल आदि के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए इसकी प्रगति का लगातार अनुश्रवण किया जाय । समीक्षोपरांत उपर्युक्त अनुशंसा विभाग को 31.10.2019 तक उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाए ।

अनुलग्नक- प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

30/8/19

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक:- 438931 **पटना/दिनांक:-** 30.08.2019

ग्रा0वि0-07 (JJH)-05/2019

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/19

सचिव

JJHA

ज्ञापांकः- 438931 पटना/दिनांकः- 30/08/2019

ग्रा0वि0-07 (JJH)-05/2019

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / प्रधान सचिव, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/19

सचिव

ज्ञापांकः- 438931 पटना/दिनांकः- 30/08/2019

ग्रा0वि0-07 (JJH)-05/2019

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 30/8/19

JJHA